

प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम

एवं जिला कलक्टर उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 206/2025 (अपील सूचना का अधिकार)

Dinesh Purohit Add: Savina Kheda, Savina Rural, Udaipur

.....अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

.....प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 29/12/2025



प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329426993072382 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 27.09.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/206/25/1241-42 दिनांक 05.12.2025 तथा ऑनलाईन पत्र क्रमांक 2193298188 दिनांक 05.12.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गिर्वा द्वारा जरिये पत्रांक स. लो.सू.अ./2025/3787 दिनांक 23.12.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.09.2025 को आरटीआई पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर बिन्दु संख्या 1 से 4 में ग्राम पंचायत जगत द्वारा 2015 से 2025 तक कराए गए कार्यों में कम्पनियों के कंस्ट्रक्शन के संबंध में सूचना चाही गई थी। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना पंचायत समिति कुराबड़ से संबंधित होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत कार्यालय के पत्र क्रमांक 2562-63 दिनांक 03.10.2025 से अंतरित करते हुए प्रार्थी को सूचित किया गया था। अतः निवेदन है कि जवाब स्वीकार फरमाया जाकर अपील निरस्त कराने का श्रम करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी से 4 बिन्दुओं के संबंध में सूचना चाही गई थी। अपीलार्थी द्वारा चाहे गये बिन्दु संख्या 1 से 4 का संबंध पंचायत समिति कुराबड़ से होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत जरिये पत्रांक 2562-63 दिनांक 03.10.2025 से पंचायत समिति कुराबड़ को अंतरित किया गया। प्रथम दृष्टया यह न्यायालय प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है। सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रेषित जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

उपस्थित हुये है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित जवाब अपीलार्थी को प्राप्त हो गया है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ~~२९-१२-२०२५~~ को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नमित मेहता)

प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर